राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1691/2012/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन घट–प्रथम अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स क्वालिटी डेयरी (इण्डिया) लि.
राजोरी गार्डन, नई दिल्ली। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 187/आरवेट/एनआरडी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंयन, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित कर रूपये 1,22,888/– व शास्ति रूपये 7,37,325/– कुल मांग राशि रूपये 8.60.213/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 04.10.2011 को वाहन संख्या आरजे–14/जीडी–6227 को रोक कर चैक किया गया। वाहन में देशी घी के टिन पाये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स क्वालिटी डेयरी (इण्डिया) लि., नई दिल्ली द्वारा जारी इन्वॉयस संख्या 426 दिनांक 03.10.2011 पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा संदेह के आधार पर कि माल की डिलेवरी जयपुर में की जायेगी, प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पेश किये गये प्रतिउत्तर से असंतुष्ट होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कर रूपये 1,22,888/– व शास्ति रूपये 7,37,325/– कुल मांग राशि रूपये 8.60.213/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2012 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कुल मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि माल भेजने वाले एवं माल पाने वाले के बीच हुए अनुबन्ध के आधार पर माल राज्य के बाहर (नई दिल्ली) से राज्य के बाहर सिलवासा को भेजा जा रहा था। इस आधार पर उन्होने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) की कार्यवाही संदेह के आधार पर की गई है। साथ ही क्वालिटी डेयरी (इण्डिया) लि. नई दिल्ली (माल भेजने वाला) एवं मैसर्स बलवीर सैल्स कॉर्पोरेशन, सिलवासा (माल पाने वाला) के बीच हुए अनुबन्ध पर माल भेजा जा रहा था। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह कही स्पष्ट नहीं होता है, कि माल राज्य में कही उतारा गया हो। जबकि माल भेजनेवाले के इन्वॉयस नम्बर 426 दिनांक 03.10.2011 पर गुजरात राज्य की लगी मोहर से प्रमाणित होता है कि उक्त माल गुजरात राज्य में प्रवेश कर चुका है। मात्र संदेह के आधार पर करापवंचन किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट है। विस्तृत कारणों सहित दिया गया है, जो उचित है। अतः उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष